उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 1433 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2019–3(11)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 24 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय: उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर / अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–7 / 2017 / 1758 / 24–पी–2–17–सा0(144) / 17, दिनांक 27.12.2017 के माध्यम से ऊर्जा निगमों के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी, कि पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का नगद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा एवं दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के पेंशन अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उ0प्र0 शासन से प्राप्त उक्त अनुमति के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किये जाने एवं दिनांक 01.01.2018 से अवशेषों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में निगम का आदेश संख्या–1918 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(11)मा0सं0–04 / 2017 दिनाँक 29.12.2017 जारी है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–801 / 24–पी–2–2019–सा0(144) / 2017, दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से ऊर्जा निगमों के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित पेंशन का एरियर / अवशेषों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासन से इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है, कि इस मद में शासन द्वारा प्राविधानित की गई बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष देयकों का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा, जिसमें से प्रथम किश्त का भुगतान इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त किया जायेगा तथा अवशेष देयकों के द्वितीय किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में यथा समय शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 09.07.2019 एवं उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 851–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 19–60–पें0एवंआर0 / 98(टीसी–1) दिनाँक 15.07.2019 में प्राविधानित व्यवस्थाओं / शर्तों के अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर / अवशेषों का भुगतान दो समान किश्तों में कराया जाये, जिसमें से प्रथम किश्त का भुगतान इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त किया जाये तथा अवशेष देयकों की द्वितीय किश्त का भुगतान शासन द्वारा इस सम्बन्ध में भविष्य में जारी होने वाले आदेशों के अनुरूप किया जाये।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु समस्त सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके स्तर से अब दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण हेतु जारी होने वाले पेंशन / पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों में इस तथ्य का उल्लेख कर दिया जाए कि दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक के देय पेंशन अवशेष का

क्रमशः....................2

भुगतान इस आदेश की व्यवस्था के अनुसार दो किश्तों में किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त इस आदेश के निर्गतन से पूर्व में जारी दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों जिनमें अवशेषों के देयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, के संदर्भ में भी यह व्यवस्था प्राविधानित की जाती है कि ऐसे पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के भुगतान आदेशों के सापेक्ष दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन के लम्बित अवशेषों के भुगतान की कार्यवाही राजकीय कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्या : 801 / 24–पी–2–2019–सा0(144) / 2017, दिनांक 09 जुलाई 2019 एवं तत्क्रम में जारी इस आदेश की शर्तों के अनुसार किया जाए।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1433(I) / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 19, तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी / वित्त / कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
3. **निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–801 / 24–पी–2–2019–सा0(144) / 2017, दिनांक 09.07.2019 में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित अवशेषों का भुगतान राजकीय कोषागारों से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।**
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ-कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा0सं0) / मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, वित्त / लेखा / पी0पी0एम0एम0 / ईधन / वाणिज्य / प्रगति / तापीय परिचालन / पर्यावरण एवं सुरक्षा / जानपद–नवपरियोजनायें / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष / सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. उप महाप्रबन्धक / अधी0अभि0 / उप सचिव(01 / 02 / 06 / 04 / 05) / टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य / प्रशिक्षण / तापीय परिचालन / जानपद / वित्त / लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य लेखाधिकारी / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / हरदुआगंज (अलीगढ़) / पनकी (कानपुर)।
15. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01 / 05 / 03 / 04 / रिफार्म) उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
17. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
18. उप महाप्रबन्धक / कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ ।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,

24/07/19

(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–04)